''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68] रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 फरवरी 2006—फाल्गुन 1, शक 1927

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-40/खाद्य/2003/29.—भारत सरकार के उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग) के आदेश क्रमांक एस. ओ. 681 (ई) तारीख 30 नवंबर, 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

1. खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(ख) ''व्यापारी'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो किसी तेल कंपनी द्वारा मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल या दोनों के क्रय, ग्रहण, भण्डार और विक्रय करने के लिए नियुक्त किया गया हो और इसमें ऐसी तेल कंपनी भी सम्मिलित है जो सीधे ही उपभोक्ताओं को मोटर स्पिरिट या हाई स्पीड डीजल आयल या दोनों का विक्रय करने में लगी हो और उसमें उसके कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे.

2. खण्ड 2 के उपखण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(ग) "आयल" से अभिप्रेत है नीचे विनिर्दिष्ट किया गया कोई भी आयल :—

(एक) किसी हाइड्रोकार्बन आयल से मिलकर बनने वाली "मोटर स्पिरिट" चाहे वे एथनोल मिश्रित हो अथवा नहीं हो (जिसमें कच्चा खनिज तेल सम्मिलित नहीं है) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश क्रमांक आई. एस.-2796 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और जो स्पार्क इगनिशन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, और

(दो) किसी हाइड्रोकार्बन आयल से मिलकर बनने वाला "हाई स्पीड डीजल" (जिसमें खनिज कोल्टा आयल तथा तारपीन का अनुकल्प सम्मिलित नहीं है) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश क्रमांक आई. एस.-1460 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और काम्प्रेशन इगनिशन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है.

3. खण्ड-2 के उपखण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(घ) "तेल कंपनी" से अभिप्रेत है इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड या भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म या कंपनी जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित अनुबंधों के अनुसार सीधे ही उपभोक्ताओं या व्यापारियों को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल का विपणन और विक्रय करने में लगी हो".

4. खण्ड-2 के उपखण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ञ) उपभोक्ता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सीधे व्यापारी से मोटर स्पिरिट एवं/या हाई स्पीड डीजल क्रय करता है और उनका उपयोग अपने स्वयं के उपभोग के लिए करता है."

5. खण्ड-7 के उपखण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) इस आदेश के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने, पुनः जारी किए जाने या नवीनीकरण के लिए देय फीस निम्नानुसार होगी :—

(क)	एक वर्ष के लिए	रुपए 10,000/-
(ख)	दो वर्ष के लिए	रुपए 20,000/-
(ग)	तीन वर्ष के लिए	रुपए 30,000/-

6. खण्ड-8 में शब्द "रुपए एक सौ" के स्थान पर शब्द "रुपए एक हजार" स्थापित किया जाए.

7. खण्ड-14 के उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यापारी उसे अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास एक लाख रुपए की रकम प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करेगा और तत्पश्चात् उसे खण्ड 6 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी और ऐसे व्यापारी जिन्हें यह अधिसूचना जारी होने से पूर्व खण्ड 6 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जा चुकी है उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सूचना जारी होने की कालावधि से एक माह के भीतर शेष राशि जमा करना होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 4-40/खाद्य/2003/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव.

Raipur, the 20th February 2006

NOTIFICATION

No. F 4-40/Food/2003/29.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the order of the Government of India, Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) order No. S.O. 681 (E) dated the 30th November, 1974 the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Spirit and High Speed Diesel Oil (Licensing and Control) order, 1980, namely :—

AMENDMENTS

In the said order,—

1. For sub-clause (b) of clause-2, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(b) "Dealer" means a person, appointed by an oil company to purchase, receive, store and sell, motor spirit or high speed diesel oil or both, and includes such oil company, which is engaged in sale of motor spirit or high speed diesel oil or both directly to consumer and shall also include their employees.

2. For sub-clause (c), of clause-2 the following sub-clause shall be substituted, namely :—

(c) "Oil" means any of the oil specified below :—

(i) "Motor spirit" consisting of any hydrocarbon oil mixed with ethanol or not (excluding crude mineral oil) which meets the requirement of Bureau of India Standards specification No. Is-2796 and is suitable for use as fuel in spark ignition engines; and

(ii) "High speed diesel" consisting of any hydrocarbon oil (excluding mineral colza oil and turpentine substitutes) which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification No. Is-1460 and is suitable for use fuel in compression Ignition Engines.

3. For sub-clause (d) of clause-2 the following sub-clause shall be substituted, namely :—

(d) "Oil company" means the Indian Oil Corporation Limited, the Hindustan Petroleum Corporation Limited, the Bharat Petroleum Corporation Limited, the Indo Burma Petroleum Company Limited or any person, firm or company authorized by Government of India which is engaged in marketing and sale of motor spirit or high speed diesel or both directly to consumer or dealers, in accordance with the stipulations laid down by the Government of India from time to time;

4. After sub-clause (i), of clause-2 the following new sub-clause shall be added, namely :—

(j) "Consumer" means a person who purchases motor spirit and/or high-speed diesel directly from dealer and utilizes the same for his own consumption.

5. For sub-clause (2) of clause 7, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

(2) The fee payable for the issue, re-issue or renewal of a license under this order, shall be as under :—

(a)	For one year	Rs. 10.000/-
(b)	For two year	Rs. 20,000/-
(c)	For three year	Rs. 30,000/-

6. In clause-8, for the word "Rupees one hundred" the words "Rupees one thousand" shall be substituted.

7. For, sub-clause (i) of clause 14, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(1) Every dealer applying for license under this order shall before the license is issued to him, deposit with the licensing authority an amount of Rupees one lakh and thereafter a license shall be issued to him under clause 6, and a dealer who has been issued license under clause 6 prior to issue of this notification has to deposit the balance amount within a period of one month from the date of notice issued by licensing authority."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.